भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1624**

**10.02.2026 को उत्तर के लिए नियत**

**पीएलआई-एसीसी योजना**

1624. **डॉ. हेमंत विष्णु सवराः**

**श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः**

**सुश्री कंगना रनौतः**

**श्री पी. सी. मोहनः**

**श्री पी. पी. चौधरी:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण समूहों के साथ इसके जुड़ाव सहित बैटरी भंडारण के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (पीएलआई-एसीसी) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के विनिर्माण पदचिह्न का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में लाभार्थी फर्मों द्वारा किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र और पालघर, जिला, कर्नाटक और बेंगलुरू सहित अनुमानित लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त किए गए रोजगार के संबंधित आंकड़े क्या हैं;

(ग) एसीसी के लिए पीएलआई योजना के परिणामस्वरूप विशेष रूप से पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन हुआ है;

(घ) क्या एसीसी बैटरी भंडारण के लिए पीएलआई योजना के कार्यान्वयन की सात वर्ष की समय-सीमा के भीतर योजना के अनुसार प्रगति हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो एसीसी विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए बोली के पहले और दूसरे दौर में से चयनित कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजना ने विद्युत गतिशीलता और ऊर्जा भंडारण के लिए आयातित बैटरी सेल पर देश की निर्भरता को किस प्रकार कम किया है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग राज्य मंत्री**

**(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

**(क), (ख), (ग) और (ङ):** भारी उद्योग मंत्रालय "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" पर उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का संचालन कर

रहा है, जिसे मई, 2021 में 50 गीगावॉट घंटे की क्षमता के लिए 18,100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।

कुल लक्षित 50 गीगावॉट घंटे की क्षमता में से, 40 गीगावॉट घंटे की क्षमता दो चरणों में चार लाभार्थी फर्मों को आवंटित की गई है। लाभार्थी फर्मों का चरणवार विवरण, उनके स्थान, किए गए निवेश और सृजित रोजगार का विवरण इस प्रकार है:

| **बोली का दौर** | **मौजूदा परियोजना/ कंपनी का नाम** | **क्षमता (गीगावॉट घंटे में)** | **स्थान** | **निवेश*** | **प्रत्यक्ष रोज़गार** |
|---|---|---|---|---|---|
| दौर 1 | एसीसी एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड | 5 | धारवाड़, कर्नाटक | 262 | 184 |
| | ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 20 | कृष्णागिरी, तमिलनाडु | 1,503 | 634 |
| | रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड | 5 | जामनगर, गुजरात | 793 | 241 |
| दौर 2 | रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड | 10 | | 679 | 59 |
| **कुल** | | **40** | | **3,237** | **1,118** |

*लाभार्थी फर्मों द्वारा 31.12.2025 तक यथासूचित।

लाभार्थी कंपनियों में से एक, मेसर्स ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने 1 गीगा-स्केल एसीसी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है, जिसकी स्थापित क्षमता 1 गीगावॉटघंटा है। मार्च, 2024 से, कंपनी ने प्रायोगिक उत्पादन शुरू कर दिया है और वर्तमान में पूर्ण पैमाने पर वाणिज्यिक उत्पादन के लिए परिचालन को स्थिर करने की दिशा में काम कर रही है।

पीएलआई एसीसी स्कीम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होने के नाते, सेल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए किसी विशिष्ट स्थान को परिभाषित या अनिवार्य नहीं करती है। लाभार्थी कंपनियां कार्यनीतिक व्यावसायिक आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अपने पसंदीदा स्थानों का चयन कर सकती हैं, जिससे पूरे भारत में सुविधा केंद्र स्थापित करने में लचीलापन सुनिश्चित होता है।

**(घ):** पीएलआई एसीसी स्कीम के तहत प्रगति में विलंब हुआ है क्योंकि लाभार्थी फर्मों को प्रचालन और कार्यान्वयन संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इस प्रकार हैं:

1. प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता।
2. कुशल जनशक्ति का अंतर।
3. महत्वपूर्ण उपकरणों और मशीनों का आयात।
4. अपस्ट्रीम घटकों की अनुपलब्धता।

**(च):** पीएलआई एसीसी स्कीम आयातित एसीसी पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी विनिर्माण क्षमता का निर्माण करने के उद्देश्य से बनाई गई है। हालांकि, वर्तमान में, घरेलू मांग काफी हद तक आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।

इस स्कीम ने भारतीय सेल विनिर्माताओं को सेल विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। पीएलआई एसीसी स्कीम के आवेदकों के अलावा, कम से कम 10 विनिर्माताओं ने देश में लगभग 178 गीगावॉट की संचयी क्षमता की घोषणा की है।

*****